Proposal No. : FP/UP/TRANS/15538/2015

भाग –2

7.	परियोजना का विवरण	फतेहपुर जनपद के अन्तर्गत साउथ ईस्ट उ0प्र0 पावर ट्रांसमिशन कम्पनी लि0 द्वारा 765 के0वी0 सिंगल सर्किट मैनपुरी–बारा पारेषण लाईन (सर्किट–1) के निर्माण कार्य हेतु जनपद फतेहपुर के अन्तर्गत प्रभावित 2.1504 हे0 संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 67 वृक्षों के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में।
(I)	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	उत्तर प्रदेश
(II)	जिला	फतेहपुर
(III)	वन प्रभाग	समाजिक वानिकी वन एवं वन्यजीव प्रभाग, फतेहपुर
(IV)	वनोत्तर प्रयोग के लिये प्रस्तावित वन भूमि का क्षेत्र (हे0 में)	2.1504 हे0
(V)	वन कानून की स्थिति	संरक्षित
(VI)	हरियाली घनत्व	0.3
(VII)	प्रजातिवार(वैज्ञानिक नाम) और परिधि क्षेणीवार वृक्षों की पतिगणना (संलग्न की जाय। सिचाई/जलीय परियोजनों के सम्बन्ध में एफ0आर0एल0आर0एल0–2 मी0 पर परिगणना और एफ0आर0एल0 4 मी0 भी संलग्न किये जाए)	बाधक वृक्षों की सूची प्रस्ताव के साथ संलग्न है।
(VIII)	भूक्षरण के लिये वन क्षेत्र की संवेदनशीलता पर संक्षिप्त टिप्पणी	अत्यन्त छोटा एवं पटरी के रुप में क्षेत्र होने के कारण भू–क्षरण के प्रति संवेदनशील नही है।
(IX)	वनेत्तर प्रयोग के लिये प्रस्तावित स्थल की वन की सीमा से अनुमानित दूरी पर	संरक्षित वन क्षेत्र में (0 किमी0)
(X)	क्या फार्म राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभ्यारण, जैवमंडल रिजर्व, बाघ रिजर्व, हाथ कारीडोर आदि का भाग है (यदि हॉ क्षेत्र का ब्यौरा और प्रमुख वन्य जीव वार्डन की टिप्पणियां अनुबंधित की जाय)	नही
(XI)	क्या क्षेत्र में वनस्पति और प्राणि जात की दुर्लभ/संकटापन्न/ विशिष्ट प्रजातियां पाई जाती है यदि हॉ तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा दें।	नही
(XII)	क्या कोई सुरक्षित पुरातत्वीय/पारम्परिक स्थल/रक्षा प्रतिष्ठान और कोई अन्य महत्वपूर्ण स्मारक क्षेत्र में स्थित है। यदि हां0 तो तत्समम्बन्धी ब्यौरा सक्षम प्राधिकारी से अनापत्ति प्रमाण पत्र के साथ, यदि अपेक्षित हो ,दें।	नही
8	एजेन्सी द्वारा भाग–1 कालम–2 में प्रस्तावित वन भूमि की आवश्यकता परियोजना के लिये अपरिहार्य और न्यूनतम है, यदि नही, तो जांचे गये विकल्पों के ब्यौरों के साथ मदवार संस्तुत क्षेत्र क्या है।	प्रस्तावित संरक्षित वन भूमि अपरिहार्य न्यूनतम है।
9	क्या अधिनियम के उल्लंघन में कोई कार्य किया गया है(हॉ/नही) यदि हॉ, तो कार्य की अवधि,दोषी अधिकारियों पर की गयी कार्यवाही सहित कार्य का ब्यौरा दें क्या उल्लंघन सम्बन्धी अभी भी चल रहें है।	नही

Proposal No. : FP/UP/TRANS/15538/2015

10	**प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम का ब्यौरा**	
I	प्रतिपूरक वनीकरण के लिये अभिनिर्धारित वनेत्तर क्षेत्र/अवक्रमित वन क्षेत्र, आस–पास के वन से इसकी दूरी–खण्डों की संख्या, प्रत्येक भू–खण्ड का आकार	संलग्न है
II	प्रतिपूरक वनीकरण के लिये अभिनिर्धारित वनेत्तर क्षेत्र/अवक्रमिक वन क्षेत्र, आस–पास की वन सीमाओं को दर्शाता मैप	संलग्न है
III	रोपित की जाने वाली प्रजातियों सहित वनीकरण स्कीम के विवरण कार्यान्वयन एजेन्सी, समय, अनुसूची, लागत, ढाचा आदि	संलग्न है
IV	प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के लिये कुल वित्तीय परिव्यय	संलग्न है।
V	प्रतिपूरक वनीकरण के लिये अभिनिर्धारित क्षेत्र की उपयुक्तता के बारे में और प्रबन्धीय दृष्टिकोण से सक्षम प्राधिकरण से प्रमाण पत्र (सम्बन्धित उप वन संरक्षक द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित किया जाय)	संलग्न है
11	जिला वन संरक्षक की स्थल निरीक्षण रिपोर्ट विशेषतः उपर्युक्त कालम–7(XI)(XII), 8 और 9 में पूछे गये तथ्यों को दर्शाते हुए	संलग्न है
12	**विभाग / जिला प्रोफाइल**	
I	जिले का भौगोलिक क्षेत्र	415200 हे0
II	जिले का वन क्षेत्र	7113.913 हे0
III	मामलों की संख्या सहित 1980 से वनेत्तर प्रयोग में लाया गया कुल वन क्षेत्र	18 मामले एवं 162.2561 हे0
IV	1980 में जिला/प्रभाग में निर्धारित कुल प्रतिपूरक वनीकरण	–
क	दण्ड के रुप में प्रतिपूरक वनीकरण सहित वन भूमि	65.372 हे0 एवं 38947 पौध का रोपण
ख	वनेत्तर भूमि पर	शून्य
ट	अब तक प्रतिपूरक वनीकरण में हुई प्रगति	–
क	वन भूमि पर	4.582 हे0 एवं 38947 पौध
ख	वनेत्तर भूमि पर	शून्य
13	प्रस्ताव को स्वीकृत करने अथवा प्रस्ताव को अन्यथा लेने के सम्बन्ध में उप वन संरक्षक की विशेष	जनहित में प्रस्ताव को स्वीकृत किये जाने की संस्तुति की जाती है।

प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी वन एवं वन्यजीव प्रभाग
फतेहपुर (उ0प्र0) 212601
06180–224493